



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939

No. 114]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

सं. 4/2015-20

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 2.72, 2.73, 2.74, 2.81 और 2.82 तथा परिशिष्ट-2ध में संशोधन।

फा.सं. 01/91/171/37/एएम-10/ईसी.-विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 2.72, 2.73, 2.74, 2.81 और 2.82 तथा परिशिष्ट 2 ध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. नया उप पैरा 2.72 (ख) जोड़ा जा रहा है और संशोधित पैरा 2.72 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“2.72 गैर स्कोमेट मदों हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र

(क) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों [विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) को छोड़कर] के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात फार्म 2ड में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए। निर्यात सुविधा समिति, निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए गुणावगुण के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेंगी।

(ख) यदि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्यातक को लिखित रूप में अधिसूचित किया गया है अथवा वह जानता है अथवा उसे विश्वास है कि स्कोमेट सूची में शामिल नहीं की गई किसी मद के सामूहिक विनाश के अस्त्रों (डब्ल्यूएमडी) के उपयोग या विपथन या उनकी मिसाइल प्रणाली या सैन्य संबंधी वास्तविक उपयोग किए (आतंकवादियों या गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा सहित) जाने के संभावित खतरे हो, तो पैरा 2.73 में स्कोमेट मदों के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार इन मदों के निर्यात पर रोक लगायी जा सकती है या लाइसेन्स दिए जाने पर अनुमति दी जा सकती है।

3. उप-पैरा 2.73 (ख) के बाद नया उप-पैरा 2.73 (ग) निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है:

“पैरा 2.73 (ग) अभिलेखों का ररखरखाव:

प्रत्येक स्कोमेट प्राधिकार पत्र धारक निर्यात या आयात, जो भी लागू हो, की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित अभिलेखों को मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखेगा:

- क) स्कोमेट प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज;
- ख) क्रेता/प्रेषिती/वास्तविक प्रयोक्ता या डीजीएफटी या संगत सरकारी एजेंसी के साथ पत्राचार;
- ग) संगत संविदाएं;
- घ) संगत बही-खाता;
- ङ.) संगत वित्तीय रिकार्ड;
- च) स्कोमेट सूची से संबंधित किसी मद या वस्तु वर्गीकरण अनुरोध के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन से संबंधित किसी सरकारी एजेंसी से कोई पत्राचार;
- छ) पोतलदान बिल, प्रविष्टि बिल और लदान-बिल सहित पोत लदान दस्तावेज।”

4. संशोधित उप पैरा 2.74 (घ) (च) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“पैरा 2.74 (I) (च) : समय-समय पर यथा अद्यतनकृत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली, आस्ट्रेलिया समूह और वासेनार समझौता (और इसकी संवेदनशील सूची तथा अति संवेदनशील सूची) के दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों सहित परन्तु उन तक सीमित नहीं प्रासंगिक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करारों और समझौतों जिनका भारत एक पक्षकार, या समर्थक है, के प्रावधानों की प्रयोजनीयता।”

5. संशोधित उप-पैरा 2.74 (अ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“2.74 v. (क) आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 में श्रेणी-ण और ‘पण्य पहचान टिप्पणी’ की टिप्पणी 2 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु ऊर्जा विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत लागू दिशानिर्देश अधिसूचित हैं। श्रेणी ण की कुछ मदों के लिए, प्राप्तकर्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभिकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी-ण की कुछ मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि हस्तांतरण अतिरिक्त रूप से पर्याप्त भौतिक सुरक्षा के तहत और उचित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) रक्षोपाय अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमति नियंत्रणों के तहत नहीं होगी।

(ख) आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 में श्रेणी 6 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी रक्षा उत्पादन विभाग है। रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी मौजूदा मानक प्रचालन प्रक्रिया द्वारा श्रेणी 6 की मदों का निर्यात अभिशासित होता है। आईटीसी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में ‘पण्य पहचान टिप्पणी’ की टिप्पणी 3 में शामिल मदों का निर्यात निषिद्ध है।”

6. संशोधित पैरा 2.81 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“2.81 स्कोमेट श्रेणी 6 मदों का निर्यात

पैरा 2.73 से 2.80 में कुछ भी निहित होने के बावजूद स्कोमेट श्रेणी 6 मदों का निर्यात रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के अनुसार अनुमत होगा। प्राधिकार पत्र देना रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा अभिशासित होगा।”

7. संशोधित पैरा 2.82 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“2.82 टिप्पणियों/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए समय सीमा

आईएमडब्ल्यूजी के सदस्य डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा आवेदनों के अग्रेषण की तारीख से 30 दिन के भीतर डीजीएफटी को अपनी लिखित टिप्पणियों/विचार/अनापत्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई टिप्पणी/विचार/अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इन मामलों को निर्णय लेने हेतु आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष, जैसा उचित प्रतीत हो, रखा जाएगा।”

8. वास्तविक प्रयोग सह वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) के लिए प्रपत्र को इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न किया जा रहा है।

क) श्रेणी 2,3,4,5,7 और 8 की स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए परिशिष्ट-2घ (i) आवश्यक है।

ख) श्रेणी-1 की स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए परिशिष्ट-2 घ (ii) आवश्यक है।

9. यह सार्वजनिक सूचना 1 मई, 2017 से लागू होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: ऐसी गैर-स्कोमेट मदों के निर्यात को नियंत्रित करने का प्रावधान विहित किया गया है जिनका सामूहिक विनाश के हथियारों/मिसाइल/सैन्य वास्तविक उपयोग के लिए प्रयोग किए जाने या डाइवर्ट किए जाने का

संभावित जोखिम है। अभिलेखों के रखरखाव के लिए प्रावधान निर्धारित किया गया है। विभिन्न बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणालियों का पालन करने तथा विविध स्कोमेट श्रेणियों के लाइसेंसिंग क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने के लिए पैरा 2.74 और 2.81 में संशोधन किए गए हैं। आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय को लिखित टिप्पणियां/विचार/अनापत्ति प्रस्तुत करने की समयावधि कम करके 30 दिन कर दी गई है। वास्तविक उपयोग—सह—वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र के लिए संशोधित प्रपत्रों को निर्धारित किया गया है।

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th April, 2017

No. 4 /2015-20

Subject:- Amendments in Paras 2.72, 2.73, 2.74, 2.81 & 2.82 and Appendix 2S of the Handbook of Procedures, 2015-2020

F. No. 01/91/171/37/AM10/EC.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade, hereby makes the following amendments in Paras 2.72, 2.73, 2.74, 2.81 & 2.82 and Appendix 2S of the Handbook of Procedures, 2015-2020 with immediate effect (**changes made are in bold letters**).

2. New sub para 2.72(b) is being added and the revised Para 2.72 would read as under:

“2.72 Application for Grant of Export Authorisation/Certificate/ Permission for non-SCOMET Items

(a) An application for grant of Export Authorisation in respect of restricted items [other than Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET)] mentioned in Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items may be made in ANF 2N to DGFT (Headquarters) along with documents prescribed therein. EFC shall consider applications on merits for issue of export Authorisation.

(b) If the exporter has been notified in writing by DGFT or he knows or has reason to believe that an item not covered in the SCOMET list has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in their missile system or military end use (including by terrorists and non-state actors), the export of such an item may be denied or permitted subject to the grant of a license, as per the procedure provided for SCOMET items in para 2.73.”

3. New sub para 2.73(c) is being added after sub Para 2.73(b) as under:

“Para 2.73(c) Maintenance of Records:

Every SCOMET authorisation holder shall maintain the following records in manual or electronic form for a period of 5 years from the date of export or import, as applicable:

- a) All documents submitted while making an application for SCOMET Authorization.*
- b) Correspondence with buyer/consignee/end-user or DGFT or relevant Government agency;*
- c) Relevant Contracts;*
- d) Relevant Books of account;*
- e) Relevant Financial records;*
- f) Any communication from any government agency related to an application for authorization for any item on the SCOMET list or a commodity classification request;*
- g) Shipping documents including shipping bill, bill of entry and bill of lading”*

4. The amended sub Para 2.74(I)(f) shall read as under:

“Para 2.74(I)(f): Applicability of provisions of relevant bilateral or multilateral Agreements and Arrangements, to which India is a party, or adherent, including but not limited to the guidelines and control lists of the Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Australia Group and Wassenaar Arrangement (and its Sensitive List and Very Sensitive List) as updated from time to time.”

5. The amended sub Para 2.74(V) shall read as under:

“2.74 V. (a) Licensing authority for items in Category 0 and Note 2 of the ‘Commodity Identification Note’ in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is Department of Atomic Energy. Applicable guidelines are notified by the Department of Atomic Energy under Atomic Energy Act, 1962. For certain items in Category 0, formal assurances from the recipient State will include non-use in any nuclear explosive device. Authorisations for export of certain items in Category 0 will not be granted unless transfer is additionally under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, or any other mutually agreed controls on transferred items.

(b) Licensing authority for items in Category 6 in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is Department of Defence Production. Export of items in Category 6 is governed by the extant Standard Operating Procedure issued by the Department of Defence Production in the Ministry of Defence. Export of items covered in Note 3 of the ‘Commodity Identification Note’ in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is prohibited.”

6. The amended Para 2.81 shall read as under:

“2.81 Export of SCOMET Category 6 items

Notwithstanding anything contained in paras 2.73 to 2.80, Export of SCOMET Category 6 items will be permitted against an authorisation issued by Department of Defence Production. The grant of authorisation will be governed by the Standard Operating Procedure (SOP) issued for the purpose by Department of Defence Production.”

7. The amended Para 2.82 shall read as under:

“2.82 Time-line for comments/NOC

The members of IMWG will endeavour to furnish their written comments/views/No Objection to DGFT within 30 days from the date of forwarding of applications by DGFT (Hqrs.). If no comments/views/No Objection is received within the stipulated period, the cases will be placed before IMWG for taking a decision, as deemed appropriate.”

8. The format for the End use cum End User Certificate (EUC) is being annexed with this Public Notice.

- a) Appendix- 2S (i) is required for export of SCOMET items in Categories 2,3,4,5,7 & 8.
- b) Appendix- 2S (ii) is required for export of SCOMET items in Category 1.

9. This Public Notice shall come into force on the 1st of May, 2017.

Effect of this Public Notice: The provision for regulating export of non-SCOMET items having potential risk of use in or diversion to WMD/missile/military end use has been prescribed. Provision for Maintenance of Records has been prescribed. Amendments have been made in para 2.74 and para 2.81 for adherence to various Multilateral Export Control Regimes and to clarify the licensing jurisdiction of various SCOMET categories. The time period to furnish written comments/views/No Objection by members of IMWG to DGFT has been reduced to 30 days. Revised formats for End use cum End User Certificate have been prescribed.

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade